न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 136 / 2020
शेखर शर्मा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. नीलोफर कपूर पत्नि शहबाद, जाति लुहार, निवासी नया वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 145 / 2020
शेखर शर्मा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. महरुनिशा पत्नि सलमान, जाति लुहार, निवासी नया वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील अ0धारा 17 बी The Rajasthan Municipalties Registration of Electirs 1974 खिलाफ आदेश दिनांक 07.07.2020 निर्वाचन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा बाबत रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की मतदाता सूची मे नाम जोडने के विरूद्ध अपील।

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री संजय सैनी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट,झुन्झुनूं

आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपीले विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ सुनवाई पर ली गई। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्टगण के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोडेन्टगण नम्बर 2 वार्ड न0 6 के मूल निवासी है एवं वार्ड नं0 17 मे निवास नही करते है। वार्ड नम्बर 17 मे जो फार्म नम्बर 3 नाम जुडवाने का पेश किया गया है उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व राशन कार्ड भी वार्ड नं0 6 के है। किन्तु इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के नाम वार्ड नं0 17 की वोटर लिस्ट मे क्रमांक क्रमशः 758, 749 पर जोड दिये जो है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के नाम नगरपालिका के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के कम संख्या क्रमशः 758, 749 से हटाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टगण नं0 2 न तो वार्ड न0 17 मे निवास नही करते है और न ही वार्ड नं0 17 मे इनके कोई दस्तावेज बने हुए है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्टगण नं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के कम सं0 क्रमशः 758, 749 से नाम हटाये जावे।

रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के वकील ने वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के मकान चिडावा मे दो जगह नही है। यदि उनका नाम वार्ड न0 17 से हटाया जाता है तो वे मताधिकार से वंचित हो जायेगें। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची मे यथावत रखे जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया हैं वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची मे यथावत रखे जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्टगण सं0 2 नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 17 मे ही निवास करते है। अन्य वार्ड मे उक्त रेस्पोडेन्टगण सं0 2 का मतदाता सूची मे नाम दर्ज नही है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निवाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपीलों का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। रेस्पोडेन्टगण सं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा की वार्ड नं0 17 की मतदाता सूची मे यथाथवत रखा जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
26/10/2020

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट,झुन्झुनूं

आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपीले विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ सुनवाई पर ली गई। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्टगण के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोडेन्टगण नम्बर 2 वार्ड न0 6 के मूल निवासी है एवं वार्ड नं0 17 मे निवास नही करते है। वार्ड नम्बर 17 मे जो फार्म नम्बर 3 नाम जुडवाने का पेश किया गया है उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व राशन कार्ड भी वार्ड नं0 6 के है। किन्तु इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के नाम वार्ड नं0 17 की वोटर लिस्ट मे क्रमांक क्रमशः 758, 749 पर जोड दिये जो है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के नाम नगरपालिका के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम संख्या क्रमशः 758, 749 से हटाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टगण नं0 2 न तो वार्ड न0 17 मे निवास नही करते है और न ही वार्ड नं0 17 मे इनके कोई दस्तावेज बने हुए है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्टगण नं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम सं0 क्रमशः 758, 749 से नाम हटाये जावे।

रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के वकील ने वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के मकान चिडावा मे दो जगह नही है। यदि उनका नाम वार्ड न0 17 से हटाया जाता है तो वे मताधिकार से वंचित हो जायेगें। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची मे यथावत रखे जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया हैं वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्टगण सं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची मे यथावत रखे जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्टगण सं0 2 नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 17 मे ही निवास करते है। अन्य वार्ड मे उक्त रेस्पोडेन्टगण सं0 2 का मतदाता सूची मे नाम दर्ज नही है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निवचिक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपीलों का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। रेस्पोडेन्टगण सं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा की वार्ड नं0 17 की मतदाता सूची मे यथाथवत रखा जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनूं
26/10/2020

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं